AN

[illegible] संरक्षक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर। Anx 7

[illegible]/n 2017-2018 दिनांक 18|5|17

[illegible] इंटरनेशनल स्कूल, ईटा-2
[illegible] गौतमबुद्धनगर।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक 30.07.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण [illegible] मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2017-2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 [illegible] अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

[illegible] में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

[illegible]/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार [illegible] पत्र प्रदान किया जायेगा।
(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(vii) अध्यापक अधिनियम, की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। [illegible] सम्बन्ध रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है.-

Principal
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad (U.P.)

ALKA CHAUDHARY
Principal
Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya
E-Block, Nand Nagri, Delhi-93

Principal
Grads International School
ETA-2, Greater Noida

Secretary/Manager
Grads International School
ETA-2, Greater Noida

Aditi Basu Roy
Principal
Grads International School
ETA-2, Greater Noida

[illegible] का क्षेत्रफल	=	12000 वर्ग मीटर
[illegible] क्षेत्रफल	=	1918 वर्ग मीटर
[illegible] क्षेत्रफल	=	शेष क्रीडा स्थल
[illegible] की संख्या	=	11
प्रधानाध्यापक-सहकार्यालय- सहभण्डार के लिए कक्ष	=	04
बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय	=	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	=	उपलब्ध है।
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	=	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	=	उपलब्ध है।
आवश्यक पठन पाठन सामग्री / क्रीडा खेल कूद, पुस्तकालय की उपलब्धता	=	उपलब्ध है।

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से काई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलायी जायगी।

विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

विद्यालय का सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा ए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13 विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक G.J.H.S - 352 है। कृपया इसे नोट कर ले और कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओ के बैठन हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।

17 संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18 शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश/विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।

19 विद्यालय में अर्ह व टी०टी०ई० उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।

20 प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राजात यदि किसी प्रकार से फर्जी/कूटरचित/मिथ्या पाये जाते है तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ-साथ प्रबन्धक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

Principal
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad (U.P.)

18/5/17
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक/ बे०शि०/ /2017–18 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

ALKA CHAUDHARY
Principal
Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya
E-Block, Nand Nagri, Delhi-93

Principal
Grads International School
ETA-2, Greater Noida

Aditi Basu Ray
Principal
Grads International School
ETA-2, Greater Noida

Aditi Basu Ray

Secretary
Grads International School
ETA-2, Greater Noida